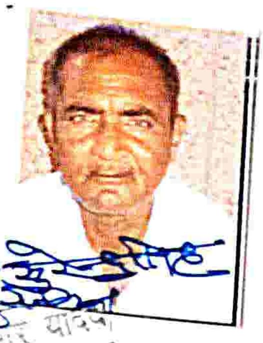

दीपक कुमार यादव
एडवोकेट तह० किशनी
जिला मैनपुरी

(1)

मौजा–अर्जुनपुर
किरायानामा
वार्षिक किराया–12000/– का 6 गुना
प्रतिमाह–1000/–
कीमत–72000/–
म्याद–29 वर्ष 11 माह 29 दिन
स्टाम्प–1500/–
पर्त–7

मैं कि चौ0 प्रेमसिंह प्रेमवती महाविद्यालय गनेशपुर मौजा अर्जुनपुर पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी द्वारा प्रबन्धक सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह नि0 गनेशपुर पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी प्रथमपक्ष (किराये पर देने वाले) व चौ0 प्रेमसिंह प्रेमवती शिक्षा समिति गनेशपुर मौजा अर्जुनपुर पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी द्वारा प्रवन्धक/सचिव सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह नि0 गनेशपुर पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी द्वितीय पक्ष (किराये पर लेने वाले) के है विदित हो कि मुझ प्रथमपक्ष की आराजी 8910 वर्गमीटर जिसमें निर्मित भवन व बाउण्ड्रीबाल है। जो गाटा सं0–58 का भू–भाग है।

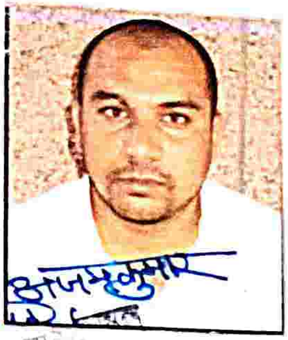

कुमार याद
एडवोकेट तह० किशनी
जिला मैनपुरी

जिसकी चौहद्दी–पूरब में खेत पहुँचीलाल आदि व पश्चिम में खेत रावेन्द्र सिंह आदि व उत्तर में लिंकमार्ग चौ0 20 फीट से कम व दक्षिण में खेत रनवीर सिंह आदि बाकै मौजा अर्जुनपुर पर0 व तह0 किशनी जिला मैनपुरी को मुझ प्रथमपक्ष ने मु0–12000/– (बारह हजार रूपया) वार्षिक किराये पर 29 वर्ष 11 माह 29 दिन के लिए द्वितीयपक्ष को किराये पर दिया है और मुझ द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से निम्नलिखित शर्तों पर किराये पर लिया है–

(3)

1. यह कि उक्त भवन की किरायेदारी 01.07.2022 से प्रारम्भ होगी इसी दिन से किराया चालू होगा। जिसकी अवधि 29 वर्ष 11 माह 29 दिन (सम्पूर्ण 30 वर्ष) के लिए है। यदि म्याद के बाद भी द्वितीयपक्ष को उक्त आराजी की आवश्यकता हो तो दोनों पक्षों की सहमति से रजिस्टर्ड किरायानामा के द्वारा उक्त भवन को प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को आगे भी किराये पर दिया जा सकता है। जिसका पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

2. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भवन का प्रयोग स्कूल के अलावा अपनी आवश्यकतानुसार अन्य किसी कार्य में प्रयोग कर सकता है।

3. यह कि उपरोक्त आराजी का किराया द्वितीयपक्ष प्रत्येक माह की 1 तारीख को रसीद द्वारा अदा किया जाएगा बिना रसीद प्राप्ति के कोई भी अदायगी किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी तथा किराया दोनों पक्षों की सहमति से हर 29 वर्ष 11 माह 29 दिन में बढ़ाया जा सकता है। तथा द्वितीयपक्ष चाहे किसी अन्य को किराये पर दे सकता है। मुझ प्रथमपक्ष को कोई ऐतराज न होगा।

4. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त स्कूल से सम्बन्धित किसी प्रकार का बदलाव तथा निर्माण अपनी स्वेच्छा से करा सकेगा।

5. यह कि द्वितीयपक्ष अपनी आवश्यकतानुसार कोई नवनिर्वाण उक्त मकान में कर सकता है। जब द्वितीयपक्ष किरायानामा की अवधि समाप्त होने पर खाली करेगी व निर्माण हटा लेगी।

6. यह कि द्वितीयपक्ष किरायानामा की अवधि के अन्तर्गत यदि उपरोक्त मकान का किरायानामा/सब पट्टानामा किसी अन्य किसी को करना चाहेगी तो उन्हें नियत अवधि तक किरायानामा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. यह कि उक्त मकान का नक्शानजरी संलग्न है। जिसके अनुसार इस लीज डीड की उक्त आराजी की नाप व सीमायें दर्शायी गयी है।

8. यह कि द्वितीयपक्ष को किरायानामा करने का अधिकार होगा।

9. यह कि इस किरायानामा की पाबन्दी दोनों पक्षों व वारिसानों पर लागू रहेगी।

10. यह कि किरायानामा का समय समाप्त होने पर किरायानामा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अतः खूब सोच समझकर स्वस्थ मन स्वस्थ इन्द्रियों के यह किरायानामा आज दि0—01.07.2022 को लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे मसौदा एवं फोटो सत्यापन गवाहान के आधार पर

मसौदा एवं फोटो सत्यापन दीपक कुमार यादव एड0 तह0 किशनी जिला मैनपुरी द्वारा किया गया है। मो0–9456872528

दीपक कुमार यादव
एडवोकेट तह0 किशनी
जिला मैनपुरी

गवाह–1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पीताम्बर सिह नि0 मिसुरपुर भाग हिन्दूपुर तह0 किशनी जिला मैनपुरी।

गवाह–2. अजय कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह नि0 विशुनगढ़ तह0 छिबरामऊ जिला कन्नौज।